

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 01/2018/अपील(मध्यस्थ)

1. हरफुल निठारवाल पुत्र श्री सुवालाल निठारवाल
2. मूलचन्द पुत्र श्री सुवालाल
3. गिरधारी लाल पुत्र सुवालाल
4. सुरेन्द्र पुत्र सुवालाल
5. बाबूलाल पुत्र बोदराम (फौत)
 - 5/1. गीता देवी पत्नी स्व. बाबूलाल
 - 5/2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बाबूलाल
 - 5/3. उर्मिला पुत्री स्व. बाबूलाल
 - 5/4. रजनी पुत्री बाबूलाल
 - 5/5. किरण पुत्री बाबूलाल
6. चौधमल पुत्र बोदूराम
7. बजरंग लाल पुत्र बोदूराम
8. गोपाल पुत्र बोदूराम

समस्त जाति जाट, निवासीगण वार्ड संख्या 24, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

-प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी सड़क एन.एच 11/52 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई रींगस जरिये परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प्रा., एन.एच. 52 पी.आई.यू. सीकर, प्लॉट नं. 187-188, विनायक विहार, पिपराली सर्किल, झुन्झुनू बाईपास सीकर राजस्थान।

-अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्टस

उपस्थित:-

1. श्री भागीरथसिंह कुड़ी, एडवोकेट अपीलांत की ओर से।
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

माध्यस्थ प्रार्थना-पन्न अन्तर्गत धारा 3G (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं धारा 24 (2) तथा धारा 64 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 विरुद्ध अवार्ड आदेश दिनांक 23.03.2011 एवं अवार्ड दिनांक 28.03.2014 सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर


कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

निर्णय

दिनांक:- 22 अगस्त, 2024

1. यह अपील प्रार्थी/अपीलांत **हरफूल निठारवाल व अन्य** की ओर से एड. **मागीरथसिंह कुड़ी** द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), श्रीमाधोपुर द्वारा जारी अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 11 (जयपुर-बीकानेर के सेक्शन) जयपुर-रींगस के 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु भूमि अवाप्ति पर निर्धारित की गई मुआवजा राशि के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलांत ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार अंकित किये हैं कि:-
 - (i) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभागद्वय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जयपुर-परसरामपुरा-रींगस खण्ड को चौड़ा करने हेतु भूमि अवाप्ति करने वास्ते भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 21.08.2009 व दिनांक 05.08.2010 को धारा 3ए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत जारी की गयी जिसमें राजस्थान राज्य के जयपुर-रींगस खण्ड के 287.000 कि.मी. से 298.050 कि.मी. के खण्ड को चौड़ा करने के लिए एवं चौड़ा करने के उद्देश्य से भूमि अर्जन के लिए उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जयपुर-रींगस खण्ड के 287.000 कि.मी. से 298.050 कि.मी. तक के भूखण्ड को चौड़ा करने फोरलेन करने उसका अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रसारण के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 05.08.2010 को जारी की गयी। जिससे राजस्थान राज्य में अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.07.2010 को प्रकाशित करवाया था। जिस पर प्रार्थीगण ने नियमानुसार अधिनियम की धारा 3सी के तहत 21 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत कर दी थी। जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आपत्ति को अस्वीकार कर दिया।
 - (ii) अधिनियम की धारा 3सी की आपत्ति निस्तारण के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 09.06.2011 को अधिसूचना जारी की गयी। जिसका प्रकाशन दिनांक 07.07.2011 को दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में करवाया गया। इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2011 को 1256 वर्गमीटर व दिनांक 28.03.2014 को 450 वर्गमीटर का अवार्ड आदेश पारित किया गया जिसमें प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा व्यवसायिक




कमल चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

उपयोग की भूमि आराजी नम्बर 5282/1 में से 1256 वर्गमीटर का भूमि का मात्र 308/- रुपये प्रति वर्गमीटर तथा 450 वर्गमीटर का 370/- रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से गणना की गयी थी। जबकि व्यवसायिक डीएलसी दर अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना के समय 31625/- रुपये प्रतिवर्गमीटर थी। एवं विधिवत रूप से बाजार में प्रचलित दर जो व्यवसायिक डी.एल.सी. दर से तीन गुना से चार गुना अधिक करीब 1,00,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर से अवार्ड किया जाना वांछित था।

(iii) प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 5282/1 भैरूजी मौड़ तन रींगस तहसील श्रीमाधोपुर में व्यवसायिक उपयोग की भूमि में से 1256 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 23.03.2011 रींगस की क्रमांक 7 पर एवं खसरा नम्बर 5282/1 में 450 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 28.03.2014 रींगस की क्रमांक 14 पर अंकित किया है एवं हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थीगण को अंकित किया है एवं व्यवसायिक भूखण्ड का अवार्ड 1256 वर्गमीटर का बाराणी दर 308/- रुपये प्रति वर्गमीटर से अवार्ड मात्र 5,59,657/- रुपये व 450 वर्गमीटर का बाराणी दर 370/- रुपये की दर से 1,83,150/- रुपये भूमि को बाराणी दायम मानते हुए अवार्ड जारी किया है। जबकि प्रार्थीगण की भूमि व्यवसायिक उपयोग की है। जिसमें निर्मित सरंचना का भी अवार्ड जारी नहीं किया है, ना ही मौके पर प्रचलित दर व धारा 3ए की अधिसूचना के समय व्यवसायिक डी.एल.सी. दर से गणना नहीं की जाकर चुनौतिग्रस्त अवार्ड पारित किया है। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण की ओर से अवार्ड राशि बढ़ाये जाने बाबत यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

(iv) प्रार्थी का यह व्यवसायिक भूखण्ड एन.एच. 11 भैरूजी मौड़ रींगस आराजी खसरा नम्बर 5282/1 में अवस्थित है। जिसकी भोगोलिक स्थिति ऐसे महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं से युक्त भारत वर्ष में सुप्रसिद्ध स्थान भैरूजी मोड़ रींगस पर स्थित है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी खसरा नम्बर 5282/1 व्यवसायिक भूमि पूर्णतया विकसित होकर मौके पर दुकाने निठारवाल जनरल स्टोर, पुजा बस बॉडी रिपेयर्स एवं लफार्ज सीमेंट का ऑफिस का व्यवसाय कर पूर्णतया व्यवसायिक गतिविधियों के उपयोग में आ रही थी। प्रार्थीगण ने विद्युत विभाग से विद्युत सम्बन्ध व्यवसायिक खाता संख्या 2135/0236 एवं 2135/0078 का लेकर मौके पर पूर्णतया व्यवसायिक उपयोग-उपभोग कर अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। जिसमें से प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की 830 वर्गमीटर भूमि, प्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 की 526 वर्गमीटर भूमि तथा विनोद कुमार की 323 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी है तथा पड़ोस में सटाकर खसरा नम्बर 5286 की




कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक होने के सम्बन्ध में ऑडिटर द्वारा मौका निरीक्षण करने पर व्यवसायिक परिक्षेत्र में स्थित होकर व्यवसायिक उपयोग की मानी जाकर निर्धारण योग्य मालियत डी.एल.सी. 11413/- रुपये से दस्तावेज विक्रय लेख प्रार्थीगण के हक की कमी मुद्रांक शुल्क 3,15,820/- रुपये वसूल किये गये हैं। जिससे भी पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक उपयोग की भूमि है।

- (v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं इसके स्थान पर प्रतिस्थापित कानून भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में स्पष्ट रूप से बाजार में प्रचलित दर से मुआवजा निर्धारण के प्रावधानों का उल्लेख है सम्पूर्ण अधिनियमों में भूमि की किस्म बारानी चाही, व्यवसायिक, कृषि व अन्य का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद भी किस्मों के वर्गीकरण के आधार पर चुनौतीग्रस्त अवार्ड पारित किया गया है।
- (vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि के साथ-साथ आस-पास के भूखण्ड भी पूर्णतया कॉमर्शियल गतिविधियों से संचालित है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाइवे पर लगती किसी भी किस्म कृषि, व्यवसायिक व अन्य का 20 फुट गहराई तक की भूमि का पंजीयन राजस्व विभाग द्वारा व्यवसायिक डी.एल.सी. दर से कम पर नहीं किया जाता है। किसी भी भूमि की बाजार में प्रचलित दर डी.एल.सी. दर से तीन से चार गुना मौके पर अधिक होती है इसी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर भूमि अर्जन के लिए माननीय संसद भारत ने नया विधेयक भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू कर उसकी अनुसूची प्रथम के मुताबिक डी.एल.सी. को गुणा कर उस पर 100 प्रतिशत तोषण का प्रावधान रखा है जिससे हितधारी को अपना अधिग्रहित भूमि से बेदखल किये जाने पर अन्यत्र विस्थापित होने पर किसी प्रकार की बाधा एवं कठिनाई नहीं हो। प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड दिनांक 23.03.2011 को जारी हुए पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने एवं प्रार्थी को मुआवजे का भुगतान नहीं करने से प्रार्थीगण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के मुताबिक अवार्ड राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।
- (vii) प्रार्थी की इस भूमि के समीप की ही अन्य भूमि खसरा नम्बर 4652 का व्यवसायिक डी.एल.सी. दर 33,200/- रुपये प्रतिवर्गमीटर, खसरा नम्बर 4643, 4652 में से अवाप्तशुदा भूमि का 31,625/- रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से एवं इस भूमि के दूसरी तरफ समीप की ही भूमि खसरा नम्बर 5271 का 11,413/- रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से सक्षम प्राधिकारी/माननीय




कमल चौधरी
जिला कलेक्टर, राजकोट

मध्यस्थ महोदय द्वारा गणना कर अर्वाड पारित किया जा चुका है, जिसमें से खसरा नम्बर 4643 व 4650 के कुछ हितबद्ध व्यक्तियों को भुगतान भी किया जा चुका है।

(viii) अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाकर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अर्वाड आदेश दिनांक 23.03.2011 व 28.03.2014 को प्रार्थीगणों के अवाप्तशुदा भूमियों की हद तक निरस्त करते हुए प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 5282/1 में से प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की 830 वर्गमीटर व प्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 की 526 वर्गमीटर भूमि का अर्वाड 3ए की अधिसूचना दिनांक 21.08.2009 व 05.08.2010 के समय प्रचलित व्यावसायिक दर तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत आदेश पारित फरमाने एवं मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोंडेंट संख्या 2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से वकील श्री कौशलेन्द्र सिंह ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

4. **रेस्पोंडेंट संख्या-02 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से** प्रस्तुत जवाब मय प्रारम्भिक आपत्तियों एवं अतिरिक्त कथनों के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

(i) सीकर जिले में एन.एच. 11 के जयपुर रींगस खण्ड को 4/6 लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें सम्मिलित 24 ग्रामों में से रींगस ग्राम के प्रतिकर का निर्धारण किया गया है जिसके लिए उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-सैकिण्ड, खण्ड 3, उपखण्ड-द्वितीय, दिनांक 11 अगस्त 2009 को खातेदारी एवं राजकीय भूमि का अधिग्रहण करने हेतु राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 48) की धारा 3क के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गयी लोक सूचना के लिए अधिसूचना का स्थानीय 2 समाचार पत्रों यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2009 के अंक में प्रकाशन कराया गया जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया कि उन्हें यदि कोई आपत्ति हो तो 21 दिवस के अन्दर सक्षम प्राधिकारी भूमि के समक्ष आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राम रींगस के लिए अधिनियम 1956 की धारा 3क के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना पर धारा 3क में प्राप्त हुए आक्षेपों का निस्तारण उचित ढंग से किया जा चुका है।




कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(ii) अधिनियम 1956 की धारा 3डी हेतु प्रेषित अधिसूचना का भारत के राजपत्र असाधारण भाग-द्वितीय, खण्ड 3, उपखण्ड-द्वितीय में दिनांक 12 जनवरी 2010 को प्रकाशन किया गया। इस अधिसूचना के तथ्यों से आमजन को सूचित करने के लिए दो दैनिक समाचार पत्रों यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 06 मार्च 2010 के अंकों में प्रकाशन कराया गया। इस लोक सूचना में हितबद्ध काश्तकारों से अपेक्षा की गयी कि यदि उनका कोई अवाप्ताधीन रकबे या मुआवजे सम्बन्धी कोई दावा/आक्षेप हो तो वे 21 दिवस की अवधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में सह-खातेदार अपनी सह-खातेदारी में अंकित भूमि का मौके पर अपने हक के अनुसार बँटवारा तो कर लेते हैं, परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि शामिल होती खाते में चढ़ी रहती है। चूँकि सह-खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में यह कानूनी अवधारणा है कि यदि एक सह-खातेदार का भूमि पर कब्जा है तो भी उस पर सभी सह-खातेदारों का संयुक्त कब्जा माना जाता है। इस कारण से सह-खातेदारी भूमि में कानूनन सभी सह-खातेदार हितबद्ध प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में सह-खातेदारों को आपसी सहमति से बँटवारा करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सह-खातेदार आपस में काबिज सह-खातेदार के पक्ष में भुगतान करने की सहमति प्रदान कर देते हैं तो भूमि के प्रतिकर भुगतान काबिज सह-खातेदार को किया जा सकता है अन्यथा स्थिति में राजस्व रिकार्ड के अंकन के अनुसार ही समस्त सह-खातेदारों को हिस्सानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जावेगा परन्तु इसमें अपवाद स्वरूप निर्मित मकानों के सम्बन्ध में निर्मित मकान व उसके साथ अधिभोग में लिए जा रही भूमि के प्रतिकर का भुगतान काबिज मकान मालिक को ही किया जाना तय किया है। क्योंकि मकान का स्वामित्व उसके निर्माणकर्ता व अधिभोगकर्ता का माना जाता है और इसके कारण केवल निर्मित मकान, अन्य निर्माण व उसके अधिभोग की भूमि के लिए प्रतिकर का भुगतान मकान मालिक को किये जाने का निर्णय लिया गया।

(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3(G)(7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा की राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी एल सी दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बेसिक शिड्यूल आफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3(H)(1) के तहत अवार्ड की राशि





कमर चौधरी

जिला कलक्टर, सीकर 6

का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है।

- (v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 5282/1 ग्राम भैरुजी मोड तन, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित अवाप्तशुदा भूमि की अवाप्ति अधिसूचना (3-ए) की दिनांक से निर्धारित डी.एल.सी. दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई है जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5282/1 में से अवाप्तशुदा भूमि 0.1256 हैक्टेयर निजी/बारानी 3 जो कि बाबूलाल, चौथूराम, बजरंग, गोपाल पुत्र श्री बोदू के खातेदारान के नाम दर्ज है जिसकी कुल मुआवजा राशि 5,59,657/- रुपये निर्धारित की गई है।
- (vi) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के फोरलेनीकरण वास्ते अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं/निर्माण की मुआवजा राशि के निर्धारण बाबत स्वतन्त्र तकनीकी मूल्यांकनकर्ता मैसर्स राशि डिजाईन सोल्यूशन प्रा लि को निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का आदेश दिया गया, साथ ही संबंधित तहसीलदार को उनके पटवारी एवं गिरदावरी सहित सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू. डी की बी.एस.आर (बेसिक शिड्यूल आफ रेट) के आधार पर स्वतन्त्र तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वेट किया गया।
- (vii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G)(2) व (7) की उपधारा 2 व 7 में मुआवजा निर्धारण के दिये गये निर्देशानुसार अवाप्ताधीन भूमियों का मुआवजा मूल्यांकन किया गया है। अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना के दिनांक को बाजार मूल्य (मार्केट वेल्यू) के संबंध में तहसील क्षेत्र श्रीमाधोपुर, जिला सीकर की अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में उप पंजीयक, श्रीमाधोपुर ने डी एल सी दर उनके पत्र वर्ष 2010 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की है, जिसके आधार पर मुआवजा निर्धारण किया गया। आधिकारिक रूप से डी.एल.सी. दर ही बाजार मूल्य मानी जाती है। निर्धारित मूल्य में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(G)(2) के प्रावधानानुसार भूमि की देय कीमत पर 10 प्रतिशत मुआवजे में अंकन किया गया। अवाप्ताधीन भूमि के निर्माण (स्ट्रक्चर) राशि के संबंध में खातेदारान/हितधारियान ने वास्तविक मूल्य दिये जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. (बेसिक शिड्यूल आफ रेट) के आधार पर स्वतन्त्र तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट, जो पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा वेट की हुई है, के आधार पर स्वीकार किया गया। स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता मैसर्स राशि डिजाईन सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, मानसरोवर द्वारा तैयार एवं प्रस्तावित दरों को स्वीकार किया गया। अवाप्ताधीन भूमि में कई प्रकार के




कमल चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

पेड़ पौधे अवाप्त किये गये हैं तथा खातेदार/हितधारी द्वारा भी कई प्रकार के पेड़ पौधों के सम्बन्ध में क्लेम पेश किया गया है, जिनकी तहसीलदार एवं वन विभाग के प्रतिनिधि से जाँच कराई गई है। तदनुसार अवार्ड में पेड़ पौधों की राशि निर्धारित की गई है। मूल्यांकनकर्ता व सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार निर्माण को हटाने की कीमत उसके अवशेष के मूल्य से अधिक है। अवशेष का मूल्यांकन शून्य निर्धारित किया गया है। हितबद्ध का निर्धारण मुख्तया राजस्व रेकार्ड, न्यायालयों का निर्णय एवं डिक्री, प्रस्तुत दस्तावेज एवं अन्य प्रमाण को महत्वपूर्ण माना जाकर निर्धारण किया गया।

- (viii) प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजे की राशि प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है, जो कि सर्वथा निराधार है चूँकि अवाप्तशुदा भूमि निजी बारानी 3 की श्रेणी में आती है। संबंधित व्यक्तियों के हक में मुआवजा निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 23.03.2011 के द्वारा किया जा चुका है। अवाप्तशुदा भूमि निजी बारानी 3 भूमि की श्रेणी में आती है तथा उसके विभिन्न खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है।
- (ix) सक्षम अधिकारी को खातेदारों के हक में राजस्व रिकार्ड के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया जा चुका है तथा राजपट्टीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा के 3(G)7 के अनुसार उचित मूल्यांकन करते हुए अवार्ड जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।
- (x) सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्तिया प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचना के उपरान्त 21 दिन का समय दिया गया। इसके बाद आपत्तियों का विधि पूर्वक निस्तारण कर मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया एवं इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा हाईवे पर स्थित भूमि के रूपान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.02.2005 व 20.11.2004 के अनुसार आवासीय भूमि सडक के मध्य से 40 मी. व्यवसायिक भूमि 75 मी. एवं औद्योगिक भूमि 100 मी. छोड़कर ही रूपान्तरण किये जाने का प्रावधान है। इसके विरुद्ध यदि कोई रूपान्तरण किया भी गया हो तो वह विधि विरुद्ध होकर गैरकानूनी माना जाना चाहिए।
- (xi) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र केवल इसी आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अवाप्ताधीन भूमि निजी बारानी 3 की भूमि है तथा उसी आधार पर मुआवजा निर्धारण किया गया जाना था। विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार अवाप्ताधीन प्रकरणों में भूमि की किस्म रिकार्ड के अनुसार निर्धारित की जाती है तथा उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारण किया जाता है। बिना कन्वर्जन इत्यादि के प्रार्थी ने उक्त भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक दर्शाते हुए मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है




कमल चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

कि भूमि की किस्म धारा 3(ए) के नोटिफिकेशन की दिनांक के अनुसार ही मानी जाती है तथा उसी अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किया जाता है।

(xii) प्रार्थी कोई भी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि उक्त अवार्ड पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 ही लागू होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी अवार्ड पारित किया गया है वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के मापदण्डों के अनुसार तय किया गया है एवं भूमि की किस्म जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसी के अनुसार वास्तविक हितबद्ध व्यक्तियों (Person interested) के नाम अवार्ड पारित किया गया है जो कि न्यायोचित है।

(xiii) अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

5. प्रकरण के विचारण के दौरान वकील रेस्पों./अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में जवाब आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन अंकित किये गये हैं।

6. हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। वकील उभयपक्ष ने उनके द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं जवाब आवेदन तथा प्रस्तुत लिखित बहस में दर्ज तथ्यों का कथन किया।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि खसरा नम्बर 5282/1 भैरुजी मौड़ तन रींगस में व्यवसायिक उपयोग की भूमि में से 1256 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 23.03.2011 रींगस की क्रमांक 7 पर एवं खसरा नम्बर 5282/1 में 450 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 28.03.2014 रींगस की क्रमांक 14 पर अंकित किया है एवं हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थीगण को अंकित किया है जिसमें भूमि की किस्म बारानी मानते हुए मुआवजा निर्धारण किया गया है। जबकि उक्त अवाप्तशुदा भूखण्ड व्यवसायिक भूखण्ड है जो कि एन.एच. 11 भैरुजी मौड़ रींगस में अवस्थित है। जिसकी भोगोलिक स्थिति ऐसे महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं से युक्त भारत वर्ष में सुप्रसिद्ध स्थान भैरुजी मोड़ रींगस पर स्थित है। प्रार्थीगणों की अवाप्तशुदा व्यवसायिक भूमि पूर्णतया विकसित होकर मौके पर दुकाने निठारवाल जनरल स्टोर, पुजा बस बॉडी रिपेयर्स एवं लफार्ज सीमेंट का ऑफिस का व्यवसाय कर पूर्णतया व्यवसायिक गतिविधियों के उपयोग में आ रही थी। जिस पर विद्युत सम्बन्ध भी व्यवसायिक श्रेणी का है। प्रार्थीगणों की उक्त अवाप्तशुदा भूमि धारा 3ए की अधिसूचना के समय प्रार्थीगणों के भूखण्ड की





कमर चौधरी
जिला कलेक्टर, सीकर


व्यवसायिक डी.एल.सी. दर 31,625/- रुपये प्रतिवर्गमीटर थी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगणों का आवेदन स्वीकार फरमाकर अवार्ड दिनांक 23.03.2011 एवं 28.03.2014 को संशोधित कर प्रार्थीगणों की अवाप्तशुदा भूमि की पुनः मौके पर सर्वेक्षण करवाकर नये सिरे से अवाप्ति की प्रक्रिया कर भूमि अर्जन पुर्नवासन, पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और प्रादर्शिता का अधिनियम 2013 से अवार्ड पारित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

वकील रेस्पों. का कथन है कि उक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है उसी अनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिस नये अधिनियम RFLTLARR 2013 के अनुसार जो मांग की गई है वह उक्त अवार्ड के संबंध में लागू नहीं होती है, क्योंकि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 11.08.2009 को प्रकाशित की गई थी तथा उक्त अवाप्त भूमि का अवार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2011 को पारित किया गया जिसकी मुआवजा राशि दिनांक 02.11.2011 को ही सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा करवा दी गई थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमायें।

1. दौराने बहस निम्न अधिसूचनाएं, परिपत्र आदि तथा कानूनी नजीरें एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

- Guidelines "No. NH-11011/30/2015-LA Government of India Ministry of Road Transport & Highways Dated, the 28 of December, 2017 of para no 4.6(iii) (A)(B)(C)(D) with Annexure-3 & 4 with Illustration.
- National Highways Authority Of India Letter No.: NHAI/11013/DGM(LA & Coord.)/2015/FTS-586/06 date 03.02.2016 pera No. 3
- Union of India & Anr. Versus Tarsem Singh & Ors. [2019 (12) SCALE 648 Supreme Court]**
- Sanwarmal Singhaniya Memorial Trust & Ors. vs National Highway Authority of India [Supreme Court Misc. Application No. 1172/2021 in C.A. No. 10501/2017 Order Dated 23-09-2022]
- Indore Development Authority vs Manoharlal and Ors. Etc. on 6 March, 2020
- 2022 LiveLaw (SC) 644, In the Supreme Court of India, Civil Oroginal Jurisdiction 28 July 2022 Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Ltd. & Ors. vs Mr. Deepak Aggarwal & Ors.

2. हमने उभपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात, परिपत्रों, सम्बन्धित विधि, नियमों व निर्णयों का अवलोकन किया गया।


कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर



उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं उद्धरणों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। MORTH द्वारा जारी गाईड लाइन एवं एनएचएआई द्वारा जारी प्रपत्रों, पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार, अधीशाषी अधिकारी नगरपालिका रींगस एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट का भलीभांति अवलोकन किया। प्राप्त अपील अनुरूप समस्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील प्रकरण निम्न दो आधारों पर निर्णित किया जाना है कि,

- (i) अपीलांट को किस Act (कानून/अधिनियम) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति का मुआवजा दिया जाना है,
- (ii) अपीलांट की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा किस डी.एल.सी. दर पर निर्धारित किया जाना है।

(i) Act (कानून/अधिनियम) के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उद्धृत होते हैं:-

- अवार्ड आदेश दिनांक 23.03.2011 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा कुल भूमि 0.6994 हैक्टेयर की मूल्यांकित राशि रु. 2,16,87,102/- तथा रु. 13,18,72,673/- अण्डर प्रोटेस्ट कुल राशि रु. 15,35,53,775/- (पन्द्रह करोड़ पैंतीस लाख तरेपन हजार सात सौ पिच्छतर) भूमि अवाप्ति अधिकारी व परियोजना निदेशक एनएचएआई पीआईयु रींगस के संयुक्त खाते में जमा करवाई गई। अवार्ड आदेश दिनांक 28.03.2014 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राशि रु. 76,30,853/- वितरण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी श्रीमाधोपुर के खाते में हस्तान्तरित की गई। इस प्रकार स्थिति स्पष्ट है कि दिनांक 31.12.2014 तक कुल अवाप्त रकबा 13.5388 हैक्टेयर के निजी रकबा 10.616 हैक्टेयर में से मात्र 3.3466 हैक्टेयर का ही सम्बन्धित हितधारियों को भुगतान किया है। अवाप्ताधीन भूमि की अवार्ड राशि का 50 प्रतिशत से कम हितबद्ध व्यक्तियों को भुगतान को दर्शाता है।
- प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्ध में प्रस्तुत नजीरें,

(i) **Indore Development Authority vs Manoharlal and Ors. Etc.** on 6 March, 2020,

(ii) **Union of India & Anr. Versus Tarsem Singh & Ors. [2019 (12) SCALE 648 Supreme Court]** एवं

(iii) **Sanwar Mal Singhania Memorial trust and Anr. Vs. Natitonal Highway Authority of India and Ors., Civil Appeal No. 10501/2017**



कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर



के अध्ययन से स्पष्ट है कि कि अगर दिनांक 31.12.2014 से पूर्व एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3जी का अवार्ड पारित कर दिया गया है, तथा अवार्ड की राशि का वितरण 31.12.2014 तक Majority of Land area का भुगतान हितधारियों को नहीं किया गया है तो उक्त हितधारी भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 से 32 तथा अनुसूची प्रथम व द्वितीय के तहत अवाप्तशुदा भूमि व निर्माण का मुआवजा प्राप्त करने के लिये Applicable होकर re-determine the compensation amount करवाने का अधिकारी है।

Provided that where an award has been made and compensation in respect of a majority of land holdings has not been deposited in the account of the beneficiaries, then, all beneficiaries specified in the notification for acquisition under section 4 of the said Land Acquisition Act, shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of this Act.

- उपरोक्तानुसार यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचा है कि प्रार्थीया भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारिनी है।

(ii) डी.एल.सी. दर निर्धारण के बिन्दु पर निम्न बिन्दु उद्धृत होते हैं:-

- इस सन्दर्भ में राजस्थान सरकार कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज. "कर विभाग" अजमेर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक: एफ-7(13)जन/10/12503 दिनांकित 1.9.20210 एवं परिपत्र संख्या 27/10 के पैरा संख्या 4.0, 4.1, 4.2 में निम्न उल्लेखित किया है कि :-
4.0 राजस्थान कर बोर्ड द्वारा व्यावसायिक भूमि मानने के संबंध में समय-समय पर निर्णय पारित किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

4.1 आफिस/गोदाम होने की स्थिति में मूल्यांकन :-

स्टाम्प निगरानी संख्या (386/01) 2262/05 राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक, हनुमानगढ़ बनाम बनवारी पुत्र आशाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2010 में यह स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के विक्रय दस्तावे को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने के समय सम्पत्ति का मौके पर गोदाम एवं ऑफिस के रूप में व्यवसायिक उपयोग होना निर्विवाद है इसलिये सम्पत्ति की भूमि का क्षेत्र की तत्समय निर्धारित व्यावसायिक दर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।



कमल चौधरी

जिला कलेक्टर, सीकर

4.2 यदि भूमि/भवन व्यावसायिक श्रेणी/लाईन में आता है और पूरा क्षेत्रफल व्यावसायिक नहीं है तो सम्पत्तियों का कितना हिस्सा व्यावसायिक माना जावे:-

स्टाम्प निगरानी संख्या 873/08 श्रीमति नीता तायल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2009 में यह स्पष्ट किया है कि सम्पत्ति मुख्य सड़क पर व्यावसायिक दुकानों की पंक्ति में स्थित है इसलिये सम्पत्ति के 20 फुट की गहराई तक अग्र भाग को वाणिज्यिक मानते हुए इसका वाणिज्यिक दर से मूल्यांकन करते हुए सम्पत्ति की मालियत की जावे।”

- मौके पर अवाप्त भूमि की किस्म व्यवसायिक है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर, अधिशाषी अधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी, श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवाप्ताधीन भूमि मौके पर प्रार्थीगणों द्वारा वर्षों से व्यावसायिक दुकानें निठारवाल जनरल रूटोर, पूजा बस बॉडी रिपेयर्स एवं लफार्ज सीमेंट का ऑफिस के रूप में उपयोग उपभोग में ली जा रही है। चूंकि व्यावसायिक डी.एल.सी. पूर्व निर्धारित होती है। व्यावसायिक डी.एल.सी. आधार है कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य क्या होगा।
- कस्बों में सड़कों, मोहल्लों, बाजार, आबादी आदि के आधार पर व्यावसायिक डी.एल.सी. का निर्धारण किया जाता है, कस्बा रींगस में भी उसी प्रकार डी.एल.सी. निर्धारित है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग ग्रामों के आधार पर डी.एल.सी. का निर्धारण किया जाता है। उदाहरणतः मुख्य सड़क एवं उसके साथ वाली अंदर आने वाली सड़क की डी.एल.सी. भी एक जैसी नहीं होती है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर लगती किसी भी किस्म की भूमि को कृषि, बारानी, व्यवसायिक व अन्य प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जाता है। कस्बों में Locality या आसपास की दरों में अंतर होता है।
- भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड में अपीलांट की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 5282/1 का मुआवजा अवार्ड दिनांक 23.03.2011 में 1256 वर्गमीटर का बारानी डी.एल.सी. दर रु. 308/- प्रति वर्गमीटर एवं अवार्ड दिनांक 28.03.2014 में 450 वर्गमीटर का बारानी डी.एल.सी. दर रु. 370/- प्रति वर्गमीटर से निर्धारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित है कि अपीलांट की अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जारी 3ए की अधिसूचना के समय व्यावसायिक डी.एल.सी. दर रु. 11,413/- प्रति वर्गमीटर की प्रचलित थी। अपीलांट ने अपनी अवाप्तशुदा भूमि को भैरूजी मोड़ का



कमर चौधरी


जिला कलक्टर, सीकर

हिस्सा बताते हुए उस समय की भैरूजी मोड़ की प्रचलित व्यावसायिक दर रु. 31,125/- प्रतिवर्गमीटर होने का कथन किया है। अपीलान्ट की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 5282/1 को भैरू मोड़ रींगस पर अपीलान्ट द्वारा मांग की गई बाजार दर को उस समय की प्रचलित डी.एल.सी. के हिसाब से भैरू मोड़ का पार्ट नहीं माना जा सकता है।

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 “Determination of market value of land by Collector” के “(1)(a)(b)(c)” एवं धारा 30 “Award of Solatium” के “ (1), (2), (3)” में बाजार मूल्य एवं मुआवजा निर्धारण के स्पष्ट निर्देश अंकित किये गये हैं। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 5282/1 की भूमि एन.एच. 11/52 पर अवस्थित होकर नगरपालिका रींगस के व्यावसायिक परिक्षेत्र में अवस्थित है जहां 3ए के नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.2009 के पूर्व से ही व्यावसायिक दुकानें, होटल, कारखाना आदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है। जिसके आधार पर यह न्यायालय प्रार्थीगणों को तात्कालिक समय की प्रचलित व्यावसायिक डी.एल.सी. दर रु. 11,413/- प्रतिवर्गमीटर की दर से से मुआवजा दिया जाना उचित समझता है।
- प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन किया है कि प्रकरण काफी लम्बे समय से विचाराधीन है तथा मुआवजा भुगतान हेतु CALA को समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु पाबंद किया जावे।



3. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं प्रकरण सक्षम प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर हाल रींगस को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कस्बा रींगस तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील रींगस स्थित भूमि खसरा नम्बर 5282/1 में से अपीलान्ट की अवाप्तशुदा भूमि 1256 वर्गमीटर व 450 वर्गमीटर का मुआवजा निर्धारण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें।
4. निर्णय आज दिनांक 22 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर